महिला कर्मचारियों... पेज 2

आपकी खबरों का संसार...

अतुल्य संसार

RNI No.-RJHIN/2015/63826

संस्करणः जयपुर

हिन्दी समाचार पत्र...

web: www.atulyasansar.com

Digital Edition

www.liveworldnews.in

दावा-रूप का सबसे... पेज 3

वर्षः 10 | अंकः 364 | जयपुर, मंगलवार 14 जुलाई, 2026 | मूल्यः 2 रुपए | पृष्ठः 4

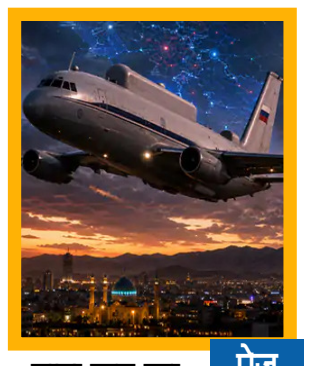

बुक फेयर में 100 रुपए में एक किलो किताब

देश-विदेश के फेमस राइटर्स की बुक शामिल; बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी जोन भी

जयपुर। जवाहर कला केंद्र का साउथ विंग इन दिनों इंडियाज बिगेस्ट बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। पांच लाख से ज्यादा पुस्तकों के विशाल संग्रह में देश-विदेश के फेमस राइटर्स की बेस्ट सेलिंग किताबों से लेकर नए और उभरते रचनाकारों की पुस्तकें शामिल हैं। बुक प्लाजा, मुंबई की ओर से आयोजित इस मेगा बुक फेयर में साहित्य, उपन्यास, आत्मकथा, इतिहास, विज्ञान, आध्यात्म, मोटिवेशन, बिजनेस, कला, संस्कृति, बच्चों के साहित्य, कॉमिक्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी हजारों किताबें पाठकों के लिए उपलब्ध हैं। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का भी बड़ा संग्रह है। अधिकांश पुस्तकों पर 85 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है। वहीं 100 रुपए में एक किलो किताबें खरीदने का विशेष ऑफर भी रखा गया है। आयोजकों का कहना है कि इस बुक फेयर का उद्देश्य केवल किताबों की बिक्री नहीं, बल्कि समाज में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना। हर आयु वर्ग के लोगों को पुस्तकों से जोड़ना है।

किताबों पर 85 प्रतिशत तक की छूट

इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित लेखकों की बेस्ट सेलिंग किताबें भी पाठकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वहीं युवा और उभरते भारतीय लेखकों की नई पुस्तकों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है, जिससे पाठकों को नए साहित्य से परिचित होने का अवसर मिल रहा है। बुक फेयर में पाठकों को आकर्षित करने के लिए कई विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं। अधिकांश पुस्तकों पर 85 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है। वहीं बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल के तहत 100 रुपए में एक किलो किताबें खरीदने का विशेष ऑफर भी रखा गया है, जिसे अभिभावकों और बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है।

बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी जोन भी

बच्चों के लिए इस बार केवल किताबें ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव एक्टिविटी जोन भी तैयार किया गया है। यहां विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में पढ़ने, लिखने और सीखने की रुचि विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह बुक फेयर बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। यूपीएससी, आरएएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम पुस्तकों का बड़ा संग्रह यहां उपलब्ध है, जिसे विद्यार्थी विशेष रुचि के साथ देख रहे हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

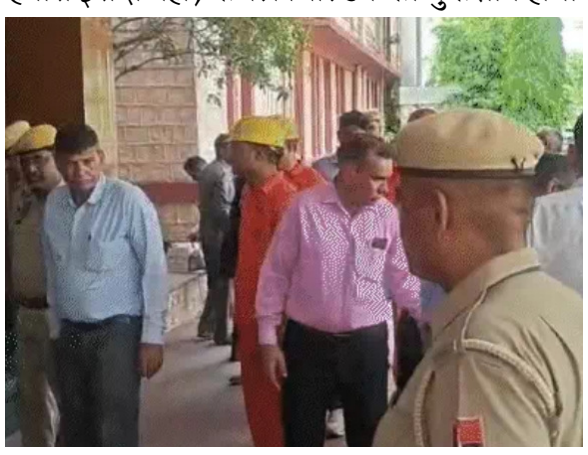

मेल में लिखा-जनमानस को नुकसान पहुंचाना हमारा इरादा नहीं, केवल बिल्डिंग को नुकसान होगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली हैं। हाईकोर्ट प्रशासन को रात 12 बजकर 19 मिनट पर आए मेल में कहा गया कि जनमानस को नुकसान पहुंचाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन बिल्डिंग को नुकसान होगा, इसलिए 6 जिलेटिन बम प्लांट किए गए हैं सुबह प्रशासन ने मेल देखा, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई। हालांकि समय पर सूचना मिलने से कोर्ट समय से पहले ही बम स्कवायड और डॉग स्कवायड ने पूरे परिसर की सघन तलाशी पूरी कर ली। जिससे हाईकोर्ट में सुनवाई बाधित नहीं हुई। तलाशी अभियान में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जिसके बाद हाईकोर्ट परिसर को करीब 9ः30 बजे खोल दिया गया। इससे पहले 13 अप्रेल को हाईकोर्ट की जयपुर बैंच को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। साढ़े 8 महीने में 13वीं बार मिली बम की धमकी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैंच को पिछले साढ़े 8 महीने में 13वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 31 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट प्रशासन के पास पहली बार धमकी भरा मेल आया था। लेकिन उसके बाद से लगातार कुछ समय के अंतराल में इस तरह के मेल आ रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट को 5 दिसंबर, 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को धमकी मिली। वहीं, साल 2026 में 6, 17,19,20 फरवरी को हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इसके बाद 17 मार्च को और 13 अप्रेल को भी राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल थी।

पेपर-लीक के विरोध में जयपुर की सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स

एनएसयूआई ने निकाली रन अगेंस्ट पेपर लीक मैराथन, जूली बोले- मेहनत का फल कोई और ले जाता है

जयपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में जयपुर में आज स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए। राष्ट्रीय छात्र संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे छात्रों की गूंज अभियान के तहत रन अगेंस्ट पेपर लीक नाम से 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। इस दौरान पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं की मांग करते हुए पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस अवसर पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मनीष यादव और विधायक शिखा मील बराला सहित कई जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

मैराथन से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने की मांग की

मैराथन की शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट से हुई। प्रतिभागी अल्बर्ट हॉल तक दौड़े और वहां से वापस राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचकर मैराथन का समापन हुआ। पूरे मार्ग में छात्र-छात्राएं और आईएनएस कार्यकर्ता हाथों में बैनर और संदेश लिखी तख्तियां लेकर दौड़ते नजर आए। प्रतिभागियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की।

जूली बोले- मेहनत का फल कोई और ले जाता है

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देशभर के छात्रों में पेपर लीक को लेकर भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

जाखड़ बोले- ये परीक्षा का मुद्दा नहीं. बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल

वहीं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और देश की प्रतिभा के साथ अन्याय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होने तक संगठन का आंदोलन जारी रहेगा।

मैराथन के विजेताओं का सम्मान

कार्यक्रम के समापन पर मैराथन के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। एनएसयूआई ने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से देशभर में छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग लगातार जारी रखी जाएगी।

राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

10 हजार ट्रकों के पहिए थमे, बोले-3 हजार की डिवाइस के लिए वसूल रहे 30 हजार

जयपुर। राजस्थान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (ङ्करुञ्जष्ठ), परमिट और ई-डिटेक्शन चालान को लेकर ट्रांसपोर्टर रविवार रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेशभर में करीब 10 हजार ट्रकों के पहिए थम गए हैं। अलवर में ट्रांसपोर्टर ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और बाजार की दुकानों को भी बंद कराया। ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहा-सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए जरूरी व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को प्रदेश के कई बड़े ट्रांसपोर्ट संगठनों का समर्थन मिला है। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट यूनियन और ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने हड़ताल का समर्थन किया है।

राजस्थान की सीमा के बाहर खड़े हैं 30 से 35 हजार ट्रक

विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने बताया- राजस्थान में कंपनियों के पास पर्याप्त संख्या में डिवाइस उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण प्रदेश के करीब 30 से 35 हजार ट्रक राज्य की सीमाओं से बाहर ही खड़े हैं। यदि ये वाहन बिना जरूरी प्रक्रिया पूरी किए राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो ई-डिटेक्शन कैमरों के जरिए इनके भारी-भरकम ऑनलाइन चालान कटने का खतरा है। इसके अलावा, डिवाइस के अभाव में इन ट्रकों के नेशनल परमिट और फिटनेस रिन्यूअल की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है।

'हम नियम के खिलाफ नहीं, व्यवस्था ठीक करने की मांग कर रहे हैं'

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का साफ कहना है कि वे सुरक्षा नियमों या तकनीक के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार की लचर व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में कंपनियों को यह डिवाइस बेचने की अनुमति है, जबकि राजस्थान में केवल 17 कंपनियां ही अधिकृत हैं। जो डिवाइस पहले करीब 3 हजार रुपए में मिल जाती थी, अब उसकी कमी का फायदा उठाकर वाहन मालिकों से 25 से 30 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्टरों का खर्च कई गुना बढ़ गया है और डिवाइस न मिलने से वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाए, अधिकृत वेंडर्स की संख्या बढ़ाए ताकि सभी वाहन मालिकों को आसानी से और उचित दाम पर डिवाइस मिल सके और उनके परमिट व फिटनेस का काम समय पर पूरा हो सके।

परमिट-टैक्स से बढ़ रही परेशानी

ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने फिलहाल अस्थायी परमिट (**TP**) की व्यवस्था जारी रखी है, लेकिन इससे लंबी दूरी तक माल ढुलाई करने वाले ट्रकों की परेशानी कम नहीं होगी। यदि कोई ट्रक राजस्थान से केरल, चेन्नई, गुवाहाटी या अन्य राज्यों में जाता है, तो उसे अलग-अलग राज्यों का टैक्स देना पड़ता है।

कई मामलों में टैक्स और परमिट का खर्च ही माल भाड़े के बराबर पहुंच जाता है। इसके साथ ही ई-डिटेक्शन चालानों का भी लगातार खतरा बना रहता है। कब से लागू हुआ यह नियम केंद्र सरकार ने सुरक्षा मानकों (**AIS**-140) के तहत व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया था। इसके बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने भी साल 2022 से इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने अधिकृत कंपनियों के माध्यम से वाहनों में डिवाइस लगाने और उसे परिवहन विभाग के मुख्य पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था की गई।

माल ढुलाई पर पड़ सकता है बड़ा असर

ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति का दावा है कि प्रदेशभर में करीब 10 हजार ट्रक इस हड़ताल में शामिल हैं। यदि सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच जल्द सहमति नहीं बनी, तो प्रदेश में सीमेंट, स्टील, किराना, कृषि उपज और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति (सप्लाई) प्रभावित हो सकती है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि सरकार जल्द वार्ता कर इसका स्थायी समाधान निकाले, ताकि परिवहन व्यवस्था सामान्य हो सके।

हाईकोर्ट जज ने कहा- ना मंदिर, ना मस्जिद...राष्ट्र प्रधान रहे

फैसला सुनाते हुए बोले- राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि, बॉर्डर पर अवैध निर्माण हटेंगे

जैसलमेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बने धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए जारी नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और आस्था के नाम पर कानून और नियमों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने जैसलमेर के रामगढ़ स्थित पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि सीमावर्ती इलाकों में बिना सक्षम अनुमति के बनाए गए धार्मिक ढांचे कानून के दायरे में अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं, वे हटेंगे। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना कोई दीवार बड़ी होती है, जब मातृभूमि की रक्षा की बारी खड़ी होती है। जो भूमि है राष्ट्र की, वह पहले राष्ट्र की ही रहेगी, जहां सुरक्षा का प्रश्न उठे, वहां राष्ट्र प्रधान रहे। तस्वीर राजस्थान हाईकोर्ट की है। सरकारी जमीन पर कब्जे और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी थी।

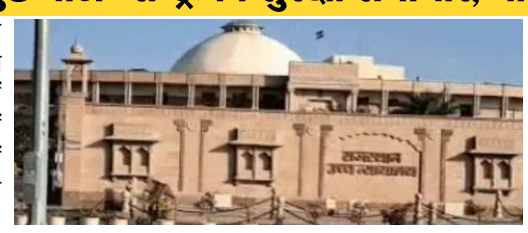

सीमा क्षेत्र में बने ढांचों की होगी जांच

हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा से 0 से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ऐसे निर्माणों की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच करेगी और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं, सरकारी जमीन पर कब्जे तथा अन्य तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित निर्माणों को हटाने या ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।

सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं

अदालत ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशीलता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई को किसी धर्म या समुदाय से जोड़कर देखना उचित नहीं है। कानून सभी नागरिकों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस फैसले का भी उल्लेख किया, जिसके तहत सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए **BSF** के अधिकार क्षेत्र को सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है।

सर्वे के बाद जारी हुए थे नोटिस

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वे किया था। इसमें सामने आया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ धार्मिक स्थलों और अन्य निर्माणों का निर्माण बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किया गया है।

पुलिस पर फायर करने वाले बदमाश बाजार में लंगड़ाते रहे

2 व्यापारियों को गोली मारी थी, सीन रिक्रिएट करवाया; उसी दुकान पर ले गए जहां से रैकी की थी

भरतपुर। भरतपुर में बर्तन व्यापारी पर फायरिंग करने वालों की पुलिस ने भरे बाजार परेड निकाली। इसके साथ ही, आरोपियों से सीन रिक्रिएट भी करवाया। दोनों लगभग 50 मीटर तक लंगड़ाते हुए चले। आरोपियों को बाजार से गुजरते हुए राहगीर देखते रहे। यही वो आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस की पिस्टल छीनकर थानाधिकारी पर फायर किया था। पुलिस दोनों को व्यापारी की दुकान के पास भी ले गई, जहां उन्होंने रैकी की थी। मामले की जांच कर रहे IO पवन यादव ने बताया- 4 जुलाई को हुए व्यापारी हत्याकांड में बलराम और प्रवीण आरोपी हैं। दोनों को 12 बजे घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट कराया गया है। यही दोनों आरोपी पुलिस की पिस्टल छीनकर चिकसाना थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा पर फायरिंग करने की घटना में भी शामिल थे। उस मामले की जांच जारी है।

दो व्यापारियों को मारी थी गोली

5 जुलाई को शहर में दो व्यापारियों को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पहली घटना पुष्प वाटिका कॉलोनी में जहां किराना व्यापारी प्रमोद मित्तल को बदमाशों ने गोली मारकर उनसे 60 हजार रुपयों से भरा बैग लूट लिया था।

कोटा स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंगः 78 बिना टिकट यात्री पकड़े गए, ?50,895 का जुर्माना वसूला

मंडल भर से 12 टिकट चेकिंग स्टाफ व रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई

अतुल्य संसार नेटवर्क

कोटा। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा के मार्गदर्शन में कोटा मंडल द्वारा रेल राजस्व की सुरक्षा तथा अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष टिकट जांच अभियान निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ जैन ने बताया कि कोटा स्टेशन पर प्रातः 8ः00 बजे से सायं 17ः00 बजे तक विशेष किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व कार्यवाहक स्टेशन मुख्य टिकट निरीक्षक दीपक शर्मा ने किया। अभियान में टिकट निरीक्षक विपुल जैन, संजय झा, हेमेंद्र मीना, उमेश कुमार शर्मा, ऋषभ कुमार, विष्णु कुमारी, दमयंती मीना, अतहर खान, महावीर मालव एवं हंसराज माली सहित कुल 12 टिकट चेकिंग स्टाफ तथा रेलवे सुरक्षा बल के दो जवानों ने सहभागिता की। इस दौरान स्टेशन के निकास मार्गों की घेराबंदी कर यात्रियों के टिकटों की सघन जांच की गई। अभियान के दौरान लगभग 18 यात्री गाड़ियों के यात्रियों के टिकटों की जांच की गई, जिसमें 78 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए गए। उनसे किराया एवं जुर्माना मिलाकर कुल 50,895 वसूले गए। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य केवल बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाना ही नहीं था, बल्कि 20 जून 2026 से लागू जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2026 के अंतर्गत रेलवे अधिनियम में किए गए संशोधित प्रावधानों के प्रति यात्रियों को जागरूक करना भी था। अभियान के दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने, रेलवे नियमों का पालन करने तथा संशोधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने यात्रियों से अपील की कि वे सदैव वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। प्रतीक्षा सूची (वेटिंग) ई-टिकट एवं प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा अनुमन्य नहीं है। यात्री रेलवे की अधिकृत टिकट बुकिंग प्रणाली अथवा यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी टिकट बुक कर सकते हैं।

मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, बकानी तहसील पर प्रदर्शन

भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में रैली निकालकर विरोध, मुआवजा, फसल बीमा व पूर्व समझौतों के क्रियान्वयन की मांग

अतुल्य संसार नेटवर्क

बकानी(झालावाड़)। विभिन्न किसान हितों से जुड़ी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सोमवार को किसानों ने बकानी तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इससे पहले कृषि उपज गौण मंडी से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एवं पैदल रैली निकालकर किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि फसल खराबे के सर्वे के बावजूद कई किसानों को अब तक मुआवजा और फसल बीमा क्लेम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही पूर्व में मंडी की समस्याओं के समाधान को लेकर हुए समझौतों का भी क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिससे किसानों में नाराजगी है। धरने के दौरान किसानों ने फसल बीमा एवं मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान, पूर्व सहमतियों को लागू करने तथा कृषि उपज मंडी की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। किसान प्रतिनिधि तहसील अध्यक्ष रामबाबू पाटीदार, बालू सिंह चौहान ने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार रतन लाल भील ने किसानों से चर्चा कर उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद किसान धरना जारी रखने पर अड़े रहे। देर शाम तक बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर मौजूद रहे।

जवाहर नवोदय विद्यालय कांजड़ा में कक्षा 6 प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

अतुल्य संसार नेटवर्क

सुमेर सिंह राव/सुरजगढ़। जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा, जिला झुंझुनू में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इच्छुक पत्र 31 जुलाई 2026 तक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं विद्यालय प्राचार्य संजय कुमार यादव के अनुसार वे विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिला झुंझुनू के किसी भी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्यनरत है वे इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र है अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की आधारित आधिकारिक वेबसाइट https://cbseitms.rcil.gov.in पर जाकर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार यादव ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक एवं पूर्णतया निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान कर आता है उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वह अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपने बच्चों का ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें ताकि किसी भी तकनीकी समस्या से बचा जा सके उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए अभिभावक विद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

महिला कर्मचारियों के लिए महिला सशक्तिकरण शिविर आयोजित

अभेड़ा महल एवं बायोलॉजिकल पार्क में प्रकृति, इतिहास और मनोरंजक गतिविधियों के बीच बिताया दिन, कार्य-जीवन संतुलन का मिला संदेश

अतुल्य संसार नेटवर्क

कोटा। माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा द्वारा महिला कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 जुलाई 2026 को अभेड़ा महल एवं बायोलॉजिकल पार्क में एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कर्मचारी हितनिधि उपसमिति (एसबीएफ), कारखाना कोटा के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में महिला कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री सुधीर सरवरिया के निर्देशन में आयोजित इस शिविर के लिए महिला कर्मचारियों के दल को वर्क्स मैनेजर श्री राजेश पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों ने अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जैव विविधता एवं विभिन्न वन्यजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा ऐतिहासिक अभेड़ा महल का अवलोकन कर उसकी स्थापत्य एवं सांस्कृतिक विरासत को जाना। इससे उन्हें प्रकृति और स्थानीय धरोहर से जुड़ने का अवसर मिला। कार्यक्रम में नृत्य, नींबू-चम्मच दौड़, रस्साकसी सहित विभिन्न मनोरंजक एवं समूह गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं ने महिला कर्मचारियों में टीम भावना, आत्मविश्वास और आपसी समन्वय को प्रोत्साहित किया। साथ ही, दैनिक कार्यों की व्यस्तता से अलग एक सकारात्मक एवं तनावमुक्त वातावरण में समय बिताने का अवसर मिला, जिससे प्रतिभागियों ने स्वयं को अधिक ऊर्जावान और उत्साहित महसूस किया। समापन समारोह में सहायक कार्मिक अधिकारी श्री सी. एल. बैरवा ने सभी प्रतिभागियों को उपहार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन महिला कर्मचारियों के कल्याण, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। इस अवसर पर एसबीएफ समिति एवं ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री नीरज, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक श्री नरेंद्र सिंह सिकरवार तथा कर्मचारी कल्याण निरीक्षक एवं सचिव, कर्मचारी हितनिधि उपसमिति, कारखाना कोटा श्री प्रेम सिंह कोली सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वीप आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित

संस्था प्रधान एवं ईएलसी प्रभारियों के लिए ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

अतुल्य संसार नेटवर्क

बारां। नोडल अधिकारी स्वीप एवं सीईओ राजवीर सिंह चौधरी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन मे जिले में ब्लॉक वार सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विधालयों के संस्था प्रधान एवं ईएलसी प्रभारियों के लिए स्वीप आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक राजकीय एवं निजी विधालयों में स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के सूदृढ़ीकरण एवं अध्ययनरत भावी मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता का प्रभावी उद्बोधन किए जाना तथा स्कूल ईएलसी की मासिक गतिविधियों के फील्ड स्तर पर सफल सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध सम्पादन के माध्यम से युवा नव मतदाताओं को ऑनलाइन ऐप द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया से रूबरू कराकर उन्हें निर्वाचन की मुख्य धारा से जोड़ना एवं मतदाता जागरूकता जैसे विषय प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को सीसवाली, 15 जुलाई को अटरु, 16 जुलाई को बारां, 17 जुलाई को छबड़ा, 20 जुलाई को किशनगंज, 21 जुलाई को शाहाबाद, 22 जुलाई को केलवाड़ा, 23 जुलाई को छीपाबड़ौद एवं 24 जुलाई को अंता ब्लॉक में कार्यशाला प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देश दिए हैं कि कार्यशाला में यथा समय सभी संबंधित संस्था प्रधान एवं ईएलसी प्रभारी उपस्थित रहे।

इसी क्रम मे सोमवार को मांगरोल के पंचायत समिति सभागार भवन में ब्लॉक कॉर्डिनेटर स्वीप एवं बीडीओ सुरेश गोदारा की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने संभागियों को निर्वाचन आयोग के नवीन दिशा निर्देशानुसार ईएलसी गठन प्रक्रिया एवं स्वीप अंतर्गत विद्यालय में की जाने वाली ईएलसी की मासिक गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करवाया एवं विद्यार्थियों को ऑनलाइन ऐप से निर्वाचन संबंधी कार्य किए जाने की जानकारी देने की बात रखी। वहीं विकास अधिकारी सुरेश गोदारा ने संभागियों को मतदान का संकल्प कराते हुए यथाशीघ्र ईएलसी का गठन करने एवं पोर्टल पर प्रविष्टि करने के निर्देश दिए।

सोजत नवनियुक्त तहसीलदार कुपसिंह ने संभाला पदभार, शहर के गणमान्य लोगों ने किया स्वागत

अतुल्य संसार नेटवर्क

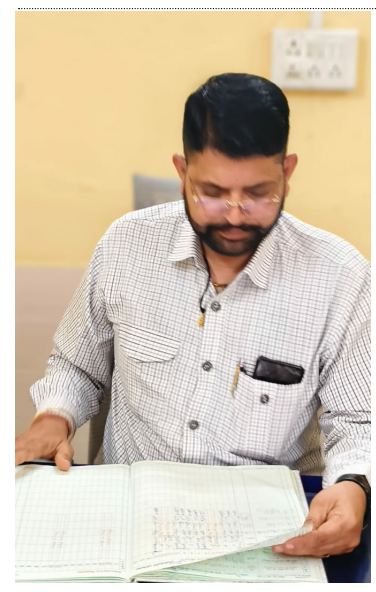

सोजत सिटी/मीठालाल पंवार। सोजत के नव नियुक्त तहसीलदार कुपसिंह ने सोमवार को अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के अवसर पर तहसील परिसर में शहर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों तथा तहसील स्टाफ ने माला एवं साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दीं। कुपसिंह की नियुक्ति अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद से पदोन्नति के बाद सोजत तहसीलदार के रूप में हुई है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि आमजन को त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नव नियुक्त तहसीलदार का स्वागत करते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

68 वाः निःशुल्क नेत्र जांच व पाइल्स रोग निदान शिविर आयोजित

मोतियाबिंद के लिए चयनित मरीजों का शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर में होगा ऑपरेशन

23 का निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन

सुमेर सिंह राव/उदयपुरवाटी। मानव सेवार्थ संकल्पित संस्था एल.एन. डोकानिया चैरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई के तत्वावधान में सोमवार 13 जुलाई को डोकानिया टाउन हॉल में निःशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं पाइल्स रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का शुभारंभ मां शाकंभरी की पूजा-अर्चना के साथ हुआ। संयोजक श्याम सुंदर डोकानिया ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से यह 68वां चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शंकरा आई हॉस्पिटल, जयपुर के नेत्र विशेषज्ञों ने 110 मरीजों की आंखों की जांच की, जिनमें से 23 मरीजों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। वहीं जयपुर के पाइल्स रोग विशेषज्ञ डॉ. आर.एन. मान 37 मरीजों को पाइल्स रोग संबंधी परामर्श देकर निःशुल्क दवाइयां वितरित की।

शिविर को सफल बनाने में प्रमोद मिश्रा, विमल बंसल, उस्मान मणियार, कजोड़ मल सैनी,गौरीशंकर शर्मा, जयप्रकाश लोहिया, सुशील रामुका एवं देवेंद्र शर्मा का विशेष सहयोग रहा।

टीबी से डरें नहीं, डटकर करें मुकाबला; समय पर इलाज से मिलेगी शत-प्रतिशत जीत

सरकारी अस्पतालों में आधुनिक जांच और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां पूर्णतः निःशुल्क

बूंदी। क्षय रोग (टीबी) को लेकर समाज में आज भी कई भ्रांतियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समय पर पहचान और नियमित उपचार से इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत न केवल टीबी का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, बल्कि मरीजों को पोषण के लिए हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इस दिशा में बूंदी जिले ने बेहतरीन कार्य करते हुए राज्य के शीर्ष 5 जिलों में अपनी जगह बनाई है, जहां टीबी के इलाज की सफलता दर 95 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

निक्षय पोषण योजनाः हर महीने 1,000 रुपये की मदद

टीबी के मरीजों को इलाज के साथ-साथ अच्छे खानपान की भी सख्त जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना लागू की है। उपचार अवधि तक मरीज के खाते में सीधे 1,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वहीं निक्षय मित्र अभियान के तहत जनभागीदारी के माध्यम से मरीजों को पौष्टिक आहार से भरी पोषण किट का वितरण करवाया जाता हैं।

टीबी मुक्त भारत अभियान में जिले ने पेश की जनभागीदारी की मिसाल

राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बूंदी जिले ने पूरे प्रदेश में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत

किया है। जिले का स्वास्थ्य विभाग और आम जनता कंधे से कंधा मिलाकर टीबी को हराने में जुटे हैं। बूंदी जिले में 1928 जागरूक लोगों और संस्थाओं ने निक्षय मित्र बनकर सक्रिय सहयोग दिया है। इनके सहयोग से जिले के सभी उपचाराधीन टीबी मरीजों को कम से कम एक बार पोषण किट उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्क्रीनिंग, एक्स-रे जांच, आधुनिक एनएएटी परीक्षण का उपयोग, टीपीटी (अक्षय), डिफरेंशिएटेड टीबी केयर और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में बूंदी का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। इसी के दम पर बूंदी जिला राज्य के शीर्ष 5 जिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग, जनप्रतिनिधियों और आमजन के सामूहिक प्रयासों से जिले में टीबी उपचार की सफलता दर 95 प्रतिशत के शानदार आंकड़े को छू रही है।

बाल और नाखून छोड़कर किसी भी अंग में हो सकती है टीबी

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. कुलदीप मीणा ने बताया कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। आम धारणा के विपरीत, यह केवल फेफड़ों की बीमारी नहीं है। बाल और नाखून को छोड़कर यह शरीर के लगभग किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने बताया कि टीबी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इनमें फुफ्फुसीय (फेफड़ों की टीबी) संक्रामक होती है और खांसने या छींकने से दूसरों में फैल सकती है। बाह्य फुफ्फुसीय (अन्य अंगों की टीबी) शरीर के अन्य हिस्सों में होती है और आमतौर पर संक्रामक नहीं होती।

6 महीने का कोर्स, बीच में न छोड़ें दवा

टीबी का सामान्य उपचार 6 माह तक चलता है। रोग की गंभीरता और दवा प्रतिरोध (ड्रग रेजिस्टेंस) की स्थिति में यह अवधि बढ़ सकती है। सबसे अहम बात यह है कि मरीज को चिकित्सक द्वारा निर्धारित पूरा कोर्स लेना चाहिए। बीच में दवा छोड़ने से बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। टीबी के लक्षण दिखने पर निकटतम सरकारी अस्पताल में जांच कराना सबसे सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में सभी आवश्यक जांच, आधुनिक परीक्षण और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां पूर्णतः निःशुल्क मिलती हैं। जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने आमजन से अपील की है कि टीबी कोई कलंक नहीं है। इसे छिपाएं नहीं, बल्कि इसका इलाज कराएं। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। पूरा इलाज लें और परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग कराएं। आइए, भ्रांतियों को तोड़ें और अपने बूंदी जिले को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।

दावा-रूस का सबसे सीक्रेट प्लेन ईरान पहुंचा: हवा में रहकर जंग कंट्रोल कर सकता है

अमेरिका का 24 घंटे में 140 ईरानी ठिकानों पर हमला

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपना बेहद सुरक्षित Tu-214PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल-टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइटराडार24 ने यह दावा किया है। Tu-214PU सामान्य VIP प्लेन नहीं है। इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकते हैं। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी कि 'प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान' भी कहा जाता है। यह विमान रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है। यही स्क्वाड्रन रूस के राष्ट्रपति और देश के शीर्ष राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। Tu-214PU के मिशनों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जाता। हालांकि यूक्रेन जंग के दौरान यह विमान कई बार उड़ान भरता देखा गया। रूस के पास ऐसे कितने विमान हैं, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। यह प्लेन ऐसे समय तेहरान पहुंचा है, जब अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विमान का तेहरान पहुंचना एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। इससे यह संदेश जाता है कि रूस, ईरान के साथ उच्च स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार जारी है। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने सोमवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया।

ओमान के पास जहाज पर हमला,1 भारतीय लापता

'GFS गैलेक्सी जहाज पर हुए हमले में 11 भारतीय सवार थे। 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। भारत ने हमले की निंदा करते हुए नागरिक जहाजों पर हमले तुरंत रोकने की अपील की।

अमेरिका बोला- ईरान के 300 ठिकानों पर हमला किया: अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस सप्ताह 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।

लेबनान पर इजराइल ने फिर हमले किए: इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातियेह जिले के कफर तेबनित कस्बे पर गोलीबारी की। फिलहाल इन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

कुवैत के सीमा चौकियों को नुकसान: कुवैत की सेना ने रविवार को बताया कि हाल के हमलों में देश के उत्तरी हिस्से में स्थित तीन सीमा चौकियों को नुकसान पहुंचा है।

खुजेस्तान में वाटर प्रोजेक्ट पर हमला: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, दक्षिणी ईरान के महशहर शहर में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

अभी हालात कितने गंभीर हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं, लेकिन संघर्ष अभी सीमित दायरे में है। यह पूर्ण युद्ध की स्थिति नहीं है।

बातचीत की गुंजाइश खत्म हुई?

नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैन्य कार्रवाई के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला है। कई बार देश दबाव बनाने के लिए हमलों के साथ बातचीत भी जारी रखते हैं।

अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है?

अमेरिका चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण हो। यही मौजूदा तनाव की सबसे बड़ी वजह है।

ईरान की रणनीति क्या है?

ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर दबाव बढ़ा रहा है। साथ ही वह होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।

आगे क्या हो सकता है?

अगर दोनों पक्ष हमले तेज करते हैं, तो संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। वहीं, बातचीत आगे बढ़ी तो तनाव कम होने की भी संभावना बनी हुई है।

ईरान की रिवेंज लिस्ट में ट्रम्प-नेतन्याहू समेत 13 नेता

ईरान के सरकार समर्थक अखबार हमशहरी ने 13 ग्लोबल लीडर्स की रिवेंज लिस्ट जारी की है। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प, बेंजामिन नेतन्याहू, कीर स्टार्मर, इमैनुएल मैक्रों, जॉर्जिया मेलोनी और फ्रेडरिक मर्ज समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। ग्राफिक में ट्रम्प और नेतन्याहू की तस्वीरों पर स्नाइपर का निशाना दिखाया गया है। यह सूची पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद सामने आई है। हालांकि, ईरान सरकार ने इस सूची को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है।

अमेरिका-ईरान MoU लगभग बेअसर, लगातार हमलों से समझौते पर संकट

अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को समझौता ज्ञापन पर दस्तखत होने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक चलाया है। अब तक दोनों देशों के बीच छह बार एक-दूसरे पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमले फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद IRGC और ईरानी सेना की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। वहीं, ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान का दावा है कि समझौते के अनुच्छेद-5 के तहत होर्मुज स्ट्रेट में अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही पर उसका पूरा नियंत्रण है। लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच यह समझौता अब काफी हद तक कमजोर पड़ता दिख रहा है। अनुच्छेद-1 में दोनों देशों के एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह शर्त टूट चुकी है। वहीं अनुच्छेद-10 में प्रतिबंधों में राहत का प्रावधान था, लेकिन कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक समाधान की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। फ्रांस में ट्रम्प के पीस डील पर साइन करने के बाद 17 जून को ईरानी राष्ट्रपति पजशकियान ने इस पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए थे। फ्रांस में ट्रम्प के पीस डील पर साइन करने के बाद 17 जून को ईरानी राष्ट्रपति पजशकियान ने इस पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए थे।

दावा- जंग के बीच रूसी प्लेन ईरान पहुंचा

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रूस का एक बेहद खास सैन्य विमान Tu-214P ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। Tu-214PU को रूस का एयरबोर्न कमांड पोस्ट या डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। यह भीषण जंग या परमाणु जंग जैसी हालत में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इस विमान में ऐसी सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली लगी है, जिसके जरिए राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य अधिकारी हवा में रहते हुए भी सेना को निर्देश दे सकते हैं। इस विमान की अधिकतम रफ्तार करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना रुके लगभग 6,500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। हालांकि, रूस ने अब तक इस उड़ान के मकसद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

जून में लगातार छठे महीने महंगाई बढ़ी

दर 1.64% बढ़कर 4.38% पर पहुंची; जून में आलू-अदरक महंगे हुए, सोने-चांदी के गहने सस्ते

नई दिल्ली। आलू-अदरक समेत खाने-पीने की चीजों के दाम फिर बढ़ने से रिटेल महंगाई लगातार छठे महीने बढ़ी है। महंगाई बढ़कर जून में 4.38% पर पहुंच गई है। जनवरी से लगातार रिटेल महंगाई दर बढ़ रही है। तब यह 2.74% थी। फूड इन्फ्लेशन जून में बढ़कर 5.32% पर पहुंच गई है। मई में यह आंकड़ा 4.38% पर था। जनवरी 2025 के बाद यह पहला मौका है जब महंगाई रिजर्व बैंकके 4% के मिडपॉइंट टारगेट के पार निकल गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज 13 जुलाई को ये आंकड़े जारी किए।

महंगाई बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका

भले ही मौजूदा महंगाई अभी भी **RBI** के 2% से 6% के टॉलरेंस बैंड के भीतर है, लेकिन कीमतों में आगे और बढ़ोतरी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो आने वाली तिमाहियों में देश की आर्थिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। जून में ही **RBI** ने अल नीनो परिस्थितियों के कारण कम मानसून की आशंका और बढ़ती एनर्जी कीमतों के दोहरे रिस्क को देखते हुए अपने महंगाई के अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया था।

नए इंडेक्स की वजह से पिछले साल से तुलना नहीं

महंगाई के डेटा की तुलना पिछले साल की समान अवधि से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसी साल जनवरी में इस इंडेक्स को रीसेट किया गया था। साल 2024 को बेस ईयर बनाकर नई सीरीज की शुरुआत की गई थी, जिसमें जनवरी में संशोधित रिटेल महंगाई 2.74% दर्ज हुई थी। इसके बाद कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई।

राममंदिर चढ़ावा चोरी- ट्रस्ट ने सीईओ की भर्ती निकाली

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगी, आठों आरोपी 14 दिन और जेल में रहेंगे

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर च?ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कहा- रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में एसआईटी के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में जांच एसआईटी को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। इधर, राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन। आवेदन की अंतिम डेट 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। वहीं, अयोध्या पुलिस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। स्पेशल कोर्ट की जज प्रतिभा नारायण ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन (27 जुलाई तक) के लिए बढ़ा दी। इससे पहले, पुलिस ने आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को फैजाबाद जेल में अलग-अलग बैरक में रखा गया है।

आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

राममंदिर चढ़ावा चोरी में जेल में बंद आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट के जज रजत वर्मा के छुट्टी पर थे। इसके चलते आज सुनवाई प्रभारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में हुई। अब आठों आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। आज आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आरएसएस धर्म और राम मंदिर को लेकर लगातार अपनी तारीफ कर रहा था। यह शर्मनाक है कि आरएसएस और **VHP** से जुड़े ट्रस्टियों की देखरेख में इतनी बड़ी घटना हुई। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का फ़ैसला राजनीति से प्रेरित नहीं होता, तो यह जांच एसआईटी से कराई जाती।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- राम मंदिर में बहुत बड़ा पाप हुआ

राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को बहाइच में कहा, बहुत बड़ा पाप इनके द्वारा किया गया है। दुख की बात ये है कि आज भी वो लोग वहां बैठे हुए हैं।

चोर पुलिस का खेल चल रहा है... ये ठीक नहीं है। कड़क दंड की कार्रवाई होनी चाहिए।

काशी, मथुरा और संभल विवाद: हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराया

कहा- केस लड़कर फैसला चाहते हैं

वाराणसी/मथुरा/संभल। यूपी के तीन मंदिर-मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समाधान समारोह 2026 पहल के तहत लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था और दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी। किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। कोर्ट ने यह लेटर कब भेजा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे अदालत में ही केस लड़कर फैसला चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालना है।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (वाराणसी)

विवाद क्या है: वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां मौजूद प्राचीन विश्वेश्वर (काशी विश्वनाथ) मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी।

हिंदू पक्ष की मांग:

ज्ञानवापी परिसर को प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर घोषित किया जाए। मस्जिद परिसर में नियमित पूजा की अनुमति मिले। परिसर में मिले धार्मिक अवशेषों को मंदिर का हिस्सा माना जाए।

मुस्लिम पक्ष की मांग

ज्ञानवापी को मस्जिद के रूप में बरकरार रखा जाए। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत नए दावों को खारिज किया जाए। मस्जिद में मुस्लिमों के नमाज के अधिकार सुरक्षित रहें।

गो हत्या बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

कहा- इसमें सुधार की जरूरत, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था- ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय-बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में सुधार की जरूरत है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि जब कानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है, और उसके लिए निर्धारित स्थान भी तय हैं, तब अदालत का ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है। इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

मद्रास हाईकोर्ट ने कुर्बानी रोकने को कहा था

मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को (बकरीद से एक दिन पहले) तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी न हो। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा- संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर रोक लगाई थी। महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे।

हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया था

हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को गाय, बछड़ों और दुधारू-पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। कोर्ट ने तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 की धारा-4 का उल्लेख किया। इसमें कहा गया है कि 10 साल से ज्यादा उम्र और प्रजनन के अयोग्य पशु को ही प्रमाणपत्र मिलने के बाद काटा जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी पशु की कुर्बानी दी जाती है तो वह केवल निर्धारित जगहों पर ही होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान सभा की बहस के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया था कि गाय भारतीय सभ्यता में पूजनीय रही है और भगवान कृष्ण के समय से उसका विशेष महत्व रहा है। यह जानकारी अदालत में दाखिल याचिका और न्यायिक आदेश के आधार पर सामने आई है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था-बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं

20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता।

बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी- मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश

पुलिस बोली- 500 के नोट, सोने-चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपाकर ले जाता था

चमोली। बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार BKTC के निलंबित पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, गोपेश्वर में सिविल जज में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया कि मनी ट्रेल और संभावित कड़ियों की जांच के लिए आरोपी की पुलिस रिमांड मांगी है। इससे पहले चमोली पुलिस की एसआईटी ने 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित उनके आवास से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें चमोली लाकर बद्रीनाथ थाने में उनसे और मंदिर समिति के चार कर्मचारियों से पूछताछ की गई।

7 दिन में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून: अभी राजस्थान-गुजरात समेत कई राज्यों में कमजोर

यूपी-बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट

नई दिल्ली। राजस्थान, गुजरात और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बीते 3-4 दिनों में कमजोर पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक कई जगह अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान है।

उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 126 सड़कें बंद

उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। स्यानाचट्टी के पास ऋषिकेश-यमुनोत्री हाईवे रविवार को लगातार तीसरे दिन भी

बंद रहा। हरियाणा में हिमाचल से आ रहे पानी के कारण यमुना और मारकंडा नदी में पानी बढ़ गया है। इससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। रविवार को यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे तेज बहाव में बह गए।

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, एक हफ्ते तक बारिश की संभावना कम

राजस्थान में मानसून का पहला दौर थमने के बाद अब बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले करीब एक हफ्ते तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना कम है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राइ रहेगा। हालांकि, 14 और 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5-6 दिनों तक मौसम ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक जोधपुर और बीकानेर संभाग में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने का अनुमान जताया है।

सुप्रीम कोर्ट बोला- नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से हो

असम में विदेशी घोषित 27 लोगों को राहत, हाईकोर्ट का फैसला रद्द, दोबारा सुनवाई होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का सवाल संविधान और कानून से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सभी मामले दोबारा सुनवाई के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेज दिए गए हैं। इन लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। उन्होंने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

एससी बोला- नागरिकता पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल करेगा

कोर्ट ने यह नहीं तय किया है कि अपीलकर्ता भारतीय नागरिक हैं या नहीं। उनके दावों, डॉक्यूमेंट्स और सबूतों की सत्यता या पर्याप्तता पर भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इन सभी की जांच अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करेगा। उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। केस को दोबारा

ट्रिब्यूनल भेजने का मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ताओं को नागरिकता मिल गई है। इसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि किसी को विदेशी घोषित करने जैसा गंभीर फैसला पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सभी मामलों की नए सिरे से सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान वह अपने पहले के आदेश या गुवाहाटी हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से फैसला देगा। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा-9 लागू रहेगी। यानी अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की ही होगी।

हाईकोर्ट में 23 साल बाद चुनौती दी गई थी

27 लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। उन्होंने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल का फैसला करीब 23 साल बाद चुनौती दी गई। नोटिस मिलने के बावजूद कोई भी याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ और न ही अपनी नागरिकता के समर्थन में कोई दस्तावेज या सबूत दिया। ऐसे में ट्रिब्यूनल के पास उन्हें विदेशी घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा-9 क्या है?

अगर किसी व्यक्ति पर सवाल उठता है कि वह भारतीय नागरिक है या विदेशी, तो अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। सरकार को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह विदेशी है। आमतौर पर किसी मामले में आरोप लगाने वाले पक्ष को आरोप साबित करना होता है। लेकिन विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा-9 में नियम अलग है। अगर किसी व्यक्ति को विदेशी होने के संदेह में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाता है, तो उसे खुद दस्तावेज और सबूत देकर साबित करना होता है कि वह भारतीय नागरिक है।

कलकत्ता हाईकोर्ट बोला-टीटीई सब्जी की तरह खाली बर्थ बेचते हैं

इसी वजह से ट्रेनों में लूट की घटनाएं होती हैं, रेलवे एक्शन ले

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेन में पैसे लेकर खाली बर्थ देने वाले टीटीई पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टीटीई खाली बर्थ ऐसे बेचते हैं, जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं। इसी वजह से ट्रेनों में नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटनाएं होती हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की बेंच 2009 में तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में हुई लूट और मौत के मामले में दो दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि पैसे लेकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को खाली बर्थ देने से अपराधियों को ट्रेनों में यात्रियों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि

इस यात्रा के दौरान सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई टीटीई ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।

17 साल पुराने केस में फैसला सुनाया

23 फरवरी 2009 को न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में दो यात्री जनरल टिकट पर सफर कर रहे थे। दोनों ने टीटीई को पैसे देकर एस-8 कोच में खाली बर्थ ली। यात्रा के दौरान दो लोगों ने उनसे दोस्ती की और खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों यात्रियों का सामान लूट लिया। इस घटना में सुनील कुमार दास की जहरीला पदार्थ शरीर में जाने से मौत हो गई, जबकि अरुण चक्रवर्ती नौ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद बच गए। इसी मामले में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।

कोर्ट के फैसले की 3 मुख्य पॉइंट्स

पुलिस जांच में कई बड़ी कमियां रहीं। मृतक के विसरा की फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई। दूसरे यात्री के अस्पताल के रिकॉर्ड भी नहीं जुटाए गए। इन्हीं कमियों की वजह से हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका। कोर्ट ने हत्या, हत्या के प्रयास और चोरी की धाराओं में दी गई सजा रद्द कर दी। अपराध करने के इरादे से नशीला पदार्थ देने के मामले मेंआईपीसी की धारा-328 के तहत सजा बरकरार रखी। दोनों आरोपी इस धारा में तय सात साल की सजा से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक समेत देशभर के रेलवे अधिकारियों को भेजने को कहा।

अमरनाथ यात्रा में कोई कचरा नहीं फैलेगा: ऐसा करने वाली देश की पहली धार्मिक यात्रा, 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल

जम्मु। अमरनाथ यात्रा देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनने जा रही है। तीन जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में चार लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। बावजूद इसके कोई कचरा लैंडफिल में नहीं जाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 को जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर निकलने वाले कचरे को संसाधन में बदला जा रहा है। खच्चरों के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए वाटर एटीएम लगाए गए हैं और पूरे मार्ग पर वैज्ञानिक तरीके से ठोस व तरल कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। यह पहल स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट और जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण स्वच्छता विभाग कर रहा है।

700 मीट्रिक टन कचरा निकलेगा

अनुमान है कि यहां करीब 700 मीट्रिक टन कचरा निकलेगा। इसके लिए बालटाल व पहलगाम दोनों मार्गों पर डस्टबिन लगाए हैं और विशेष सफाई दल तैनात किए गए हैं, जो ठोस और तरल दोनों प्रकार के कचरे का संग्रह और वैज्ञानिक निस्तारण कर रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता विभाग की महानिदेशक अनु मल्होत्रा बताती हैं कि यात्रा शुरू होने के पहले दिन से ही सफाईकर्मी लगातार कचरा एकत्र कर रहे हैं और हाई-एंड मशीनों

के जरिए उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है।

अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला

अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया है। अभी यात्रा के पांच दिन ही बीते हैं। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। यात्रा के पहले चार दिनों में करीब 86 हजार श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को पांचवें दिन यह संख्या 1 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी कि अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। पूरी खबर पढ़ेंज

9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक, प्रशासन बोला- नए यात्री कुछ दिन रुकें

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अमरनाथ पहुंच रहे यात्रियों से कहा है कि वे अपनी यात्रा कुछ दिन के लिए टाल दें। प्रशासन के मुताबिक, 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट पूरी तरह भर चुके हैं। ऐसे में अगर कोई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन बालटाल या पहलगाम रूट से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे चेक पॉइंट्स पर रोक दिया जाएगा। उसे 9 जुलाई के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा।अधिकारियों ने कहा कि रविवार से केवल रजिस्टर्ड यात्री ही कश्मीर की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।

अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला

अमरनाथ का हिम शिवलिंग किसी बर्फ के ब्लॉक को तराशकर नहीं बनाया जाता, बल्कि यह प्राकृतिक आइस स्टैलेग्माइट है। जैसे चूना-पत्थर की गुफाओं में जमीन से खनिज जमा होकर स्टैलेग्माइट बनते हैं, उसी तरह अमरनाथ गुफा में छत से टपकने वाला पानी जमकर बर्फ का शिवलिंग बनाता है।

इसका आकार हर साल मौसम, तापमान और पानी की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग होता है। यही इसकी सबसे अनोखी विशेषता है। अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान-पहलगाम से है। दूसरा रास्ता गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल से है। यात्रा 28 अगस्त को खत्म होगी।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रदीप कुमार सोलंकी द्वारा महानगर मल्टीमीडिया प्रा. लि. जी-848, फेज 3, रीको सीतापुरा, जयपुर (राज.) से मुद्रित एवं 227-हीरालाल की गली, झालाना, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित।
सम्पादकः प्रदीप कुमार सोलंकी, मो. 93510-01100, Email: atulyasansar@gmail.com संपादकीय कार्यालयः जगतपुरा फ्लाईओवर के पास, जगतपुरा जयपुर।